संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 01 अगस्त, 2018***

विषयः- आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्थाई नीति।

महोदय,

आजीवन कारावास से दण्डित होने की दशा में बंदियों के लंबी अवधि से कारागार में निरूद्धि के कारण न केवल प्रदेश की कारागारों में ओवर क्राउडिंग की स्थिति उत्पन्न होती है वरन् बंदियों में हताशा व कुण्ठा भी पनपती है जिससे आपराधिक न्याय व्यवस्था, बंदी सुधार एवं पुनर्वास का उद्देश्य प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की समयपूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा करने व स्थाई नीति बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-6041/2018, चन्द्रासी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.04.2018 को दिये गये अपने निर्णय में सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाने की अपेक्षा राज्य सरकार से की है। अतः आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्थाई नीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

कारागार विभाग के आदेश संख्या- 491/22-2-2018-7 जी/2018 दिनांक 03.04.2018 द्वारा इस सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर उ0प्र0 के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थाई नीति निर्धारित की जाती हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. श्री राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद -161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्वदोष बंदियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुये रिहा किये जाने हेतु निम्नानुसार नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2 (क). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

2 (ख). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सभी पुरूष सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

2 (ग). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे सिद्वदोष बंदी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या- 195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:-

1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis
2- incurable malignancy
3- Incurable Blood diseases
4- Congestive heart failure
5- Chronic epilepsy with mental degeneration
6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer
7- Total blindness of both eyes
8- Incurable paraplegias and hemiplegics
9- Advanced Parkinsonism
10- Brain Tumor
11- Incurable Aneurysms
12- Irreversible Kidney failure

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2 (घ). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

2 (ङ). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

2 (च). आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के उपनियम-**xiii** में वर्णित अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नही है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

3. <u>प्रतिबन्धित श्रेणी</u>

(i) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है,

(ii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो।

(iii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्टि रूप से जीवन-पर्यन्त कारागार में निरूद्धि हेतु आदेशित किया है अथवा आजीवन कारावास से दण्डित समस्त ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्धि हेतु आदेशित किया गया है।

(iv) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था।

(v) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिनपर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ-साथ भोगे जाने वाली पृथक-पृथक अवधि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।

(vi) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे सामूहिक नरसंहार (तीन या तीन से अधिक हत्याएं) की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्व किया गया हो।

(vii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्वि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर- 814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से और विगत 05 वर्षो के दौरान उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर- 815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों।

(viii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ix) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्वि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो ।

(x) ऐसे सिद्वदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(xi) ऐसे सिद्वदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं।

(xii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्व किया गया होः-

- नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985
- आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप अधिनियम 1997
- आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002
- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)
- स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988(1988 का सं0 42)
- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं 52)
- शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम 1923

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- विदेशियों विषयक अधिनियम 1946
- विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974
- लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 **(POCSO ACT 2012)**

(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363 ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364 ए (मुक्ति-धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवष करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना), 366 ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366 ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देष्य से व्यपहरण या अपहरण), 368(व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना),369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आषय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।

(xiv) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों।

(xv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों।

(xvi) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

4. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेगें एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें।

5. बंदियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव दिनांक 15 नवंबर तक महानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध करायेगें।

7. महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवंबर तक प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायेगा।

8. शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

(क) प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- **अध्यक्ष**

(ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- **सदस्य**

(ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0- **सदस्य सचिव**

(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन- **सदस्य**

समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

9. उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्वदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रूपया 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

10. उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहिये, तो शासन ऐसे बंदी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये उसे पुनः कारागार में निरूद्व कर सकेगा।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-564/2018/1106(1)/22-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तो/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आगामी 26 जनवरी के अनुसार

उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के शासनादेश संख्या.....दिनांक.....के दिशा निर्देशानुसार गणतन्त्र दिवस के अवसर पर दी गयी सजा में छूट हेतु पात्रता रखने वाले आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बन्दियों के सम्बन्ध में सूचना।

क्र0	जेल का नाम	बन्दी का नाम	पिता का नाम	आयु	न्यायालय का नाम एवं जनपद/आपराधिक प्रकरण/सत्र प्रकरण क्रमांक	अपराध का अन्वेषण करने वाली एजेन्सी का नाम	अधिनियम एवं धारा जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गयी है।	अधिनियम एवं धारा जिसमें आजीवन कारावास के अतिरिक्त अन्य सजा दी गयी, (चाहे सभी सजाएं साथ-साथ बितायी जा रहीं हैं) का विवरण	कॉलम-9 में अकित धाराओं में सजा का विवरण	दण्डादेश दिनांक	जेल में भुगती गयी अपरिहार सजा। (विचाराधीन अवधि सहित)	प्राप्त परिहार	बन्दी द्वारा भोगी गयी कुल सपरिहार सजा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

क्या बन्दी को विगत 02 वर्ष में जेल मैनुअल प्रस्तर-814 के अन्तर्गत लघुदण्ड से दण्डित किया गया है, यदि हां तो विवरण	क्या बन्दी को विगत 05 वर्षों में जेल मैनुअल प्रस्तर-815 के अन्तर्गत किसी वृहद दण्ड से दण्डित किया गया है, यदि हां तो विवरण	क्या बन्दी शासन की समयपूर्व रिहाई की नीति के अन्तर्गत चिकित्सीय आधार पर मुक्ति का पात्र है, यदि हो तो अभिलेखीय साक्ष्यों सहित विवरण	क्या बन्दी द्वारा किया गया अपराध, जिसके लिए वह दोषसिद्ध हुआ है, उन विषयों से सम्बन्धित है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यदि हां तो क्या बन्दी के मामले में परिहार/निलम्बन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया गया है।	क्या शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बन्दी सजा में छूट की पात्रता रखता है। (प्रमाणीकरण वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा) सील वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला/उप
15	16	17	18	19

हस्ताक्षर.....
प्रभारी सिद्धदोष बन्दी अनुभाग,
(नाम एवं हस्ताक्षर)
.....

हस्ताक्षर.....
कारापाल
केन्द्रीय/जिला कारागार
.....

हस्ताक्षर.....
वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागार
.....

हस्ताक्षर.....
उप महानिरीक्षक, कारागार
परिक्षेत्र
.....

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in